

अनुमति की शर्त ।

- (i) जल संचय/सुख्खन के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यादिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिडकी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जाधपुर

आवेदन क्रमांक 092 दिनांक 05/04/19

प्राची अशोक आचार्य S/O श्री भीकम चन्द

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 19(1) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मा. निगम से अनुमति के पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 311,431-के पैसे जमा

जरिये रसीद संख्या 1005/9064, 9065

दिनांक 05/04/2019 को जमा करा दी है ।

यस्य केर

प्रारूपकार

नगर निगम, जाधपुर

P.No: पुन्ने री भटिया सरदार पु

Received

(Signature)